न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 130/2019

अनवान :

1. भागीरथ पुत्र श्री सतवीर उर्फ ठन्डीराम जाति जाट
2. करणसिंह पुत्र श्री सतवीर उर्फ ठन्डीराम जाति जाट
3. रायसिंह पुत्र श्री सतवीर उर्फ ठन्डीराम जाति जाट

निवासी डाबडी तहसील भादरा जि0 हनुमानगढ़

– वादीगण

बनाम

1. सतवीर उर्फ ठन्डीराम पुत्र श्री शेरसिंह जाति जाट निवासी गांव डाबडी तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक अनुतोष
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र शर्मा : वादीगण

निर्णय **दिनांक : 30-01-2020**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील भादरा के रोही गढड़ा के खाता सं0 62/63 के खसरा सं0 237 की 1.5530 है0, खसरा नं0 57/1 की 5.2610 है0 कुल 6.9180 है0 में प्रतिवादी ठन्डीराम के नाम 57/1 हिस्सा यानि 2.507 है0 खातेदारी दर्ज है एवं डाबडी के खाता संख्या 387/376 के ख0 194 की 8.2310 है0 में प्रतिवादी सतवीर उर्फ ठन्डीराम के नाम 3.527 है0 खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसके अलावा संयुक्त हिन्दु परिवार की आय से रोही गढ़ड़ा के खाता सं0 53/61 के खसरा सं0 57/1 की 2.5070 है0 कृषि भूमि प्रतिवादी ठन्डीराम वल्द शेरसिंह के नाम से खरीद की हुई है, जिसमें भी वादीगण का प्रतिवादी के साथ संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर है।

प्रतिवादी सतवीर उर्फ ठन्डीराम को उपर वर्णित कृषि भूमि अपने पिता शेरसिंह से विरासतन प्राप्त हुई है। पक्षकारान दावा संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है एवं उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी सतवीर के साथ वादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है एवं प्रतिवादी सतवीर के साथ वादीगण संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है। वाद भूमि प्रतिवादी सतवीर के नाम महज कर्ता खानदान होने के कारण दर्ज है।

पक्षकारान दावा जो कि संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है एवं पक्षकारान दावा ने आपसी सहमति से संयुक्त हिन्दु परिवार की जद्दी सम्पति एवं संयुक्त आय से खरीदशुदा सम्पति का आपस में बंटवारा कर लिया एवं मुताबिक बंटवारा प्रतिवादी सतवीर उर्फ ठन्डीराम के नाम उपर वर्णित कुल कृषि भूमि उसके तीनों पुत्रों वादीगण को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक को 1/3 हिस्सा– 1/3 हिस्सा प्राप्त हुई प्रतिवादी सतवीर उर्फ ठन्डीराम को अन्य सम्पति प्राप्त हुई।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ने

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 4 व 5 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादीगण में वादी भागीरथ के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यापित प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम गढ़ड़ा खाता सं0 53/61 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, सत्य चित्रप्रति जमाबन्दी ग्राम डाबडी खाता सं0 387/376 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 2, सत्यापित प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम गढ़डा खाता सं0 62/63 सम्वत् 2063 से 66 प्रदर्श 3, वारिसनामा प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी के बहस पर मनन किया गया। पत्रावलीं पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने ग्राम गढ़ड़ा व डाबडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा की पुष्टि में जो सत्य चित्रप्रति जमाबन्दी ग्राम डाबडी खाता सं0 387/376 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 2 में वाद भूमि वादीगण के दादा शेरसिंह वल्द राजमल के नाम दर्ज इसलिए ग्राम डाबडी की कृषि भूमि दादालाई होना साबित है। अन्य कृषि भूमि जो प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वह दादालाई कृषि भूमि होना साबित नहीं है तथा दादालाई कृषि भूमि नहीं होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 के सतवीर उर्फ ठन्डीराम के जीवनकाल में वादीगण अपने हकों की घोषणा करवा पाने के अधिकारी नहीं है। वारिसनामा प्रदर्श 4 में सतवीर उर्फ ठन्डीराम के वारिसान में पत्नी विमला देवी, तीन पुत्र भागीरथ, कर्णसिंह व रायसिंह होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादीगण आंशित तौर पर डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि डाबडी के खाता संख्या 387/376 के ख0 194 की 8.2310 है0 में प्रतिवादी सतवीर उर्फ ठन्डीराम के नाम 3.527 है0 खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 सतवीर उर्फ ठन्डीराम के अकेले के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 चारों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। रोही गढड़ा के खाता सं0 62/63 व रोही गढ़ड़ा के खाता सं0 53/61 की कृषि भूमि जो प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वह यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30-01-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मुकेश बारेठ)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 130/2019

अनवान :

1. भागीरथ पुत्र श्री सतवीर उर्फ ठन्डीराम जाति जाट
2. करणसिंह पुत्र श्री सतवीर उर्फ ठन्डीराम जाति जाट
3. रायसिंह पुत्र श्री सतवीर उर्फ ठन्डीराम जाति जाट

निवासी डाबडी तहसील भादरा जि0 हनुमानगढ़

– **वादीगण**

बनाम

1. सतवीर उर्फ ठन्डीराम पुत्र श्री शेरसिंह जाति जाट निवासी गांव डाबडी तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री नरेन्द्र शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि डाबडी के खाता संख्या 387/376 के ख0 194 की 8.2310 है0 में प्रतिवादी सतवीर उर्फ ठन्डीराम के नाम 3.527 है0 खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 सतवीर उर्फ ठन्डीराम के अकेले के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 चारों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। रोही गढड़ा के खाता सं0 62/63 व रोही गढ़ड़ा के खाता सं0 53/61 की कृषि भूमि जो प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वह यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुद्रा: सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा हनुमानगढ़)

(मुकेश बारैठ) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.19 16:25:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: